



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, झोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcdfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-27/2017-1071 दिनांक : 21.08.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल **रु0 1652.793 लाख (सोलह करोड़ बावन लाख उनासी हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-32/2017-22/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/2017- 57/आ0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 1652.793 लाख (सोलह करोड़ बावन लाख उनासी हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	1003.452
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	649.341
कुल :-		1652.793

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3 (क) से (ग)** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची



की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वामभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017-1071 दिनांक- 21.08.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ हजारीबाग/ चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017-1071 दिनांक- 21.08.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गढ़वा/लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	140.00	44.095	31.922	76.017
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	140.00	44.095	31.922	76.017
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	305.00	96.063	69.545	165.608
4	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50.00	15.748	11.400	27.148
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	180.00	56.693	41.043	97.736
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	50.00	15.748	11.400	27.148
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	80.00	25.197	18.241	43.438
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	200.00	62.993	45.602	108.595
योग :-		1145.00	360.632	261.075	621.707

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	250.00	116.674	67.433	184.107
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	150.00	70.004	40.460	110.464
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	46.669	26.973	73.642
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	65.00	30.335	17.532	47.867
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	162.00	75.605	43.696	119.301
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	100.00	46.669	26.973	73.642
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	200.00	93.339	53.946	147.285
योग :-		1027.00	479.295	277.013	756.308

अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	38.935	26.489	65.424
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100.00	38.935	26.489	65.424
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	80.00	31.147	21.191	52.338
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	100.00	38.935	26.489	65.424
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	40.00	15.573	10.595	26.168
योग :-		420.00	163.525	111.253	274.778

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	689.70	0.00	689.70	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1609.30		1609.30	
2.2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग,स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2299.00		2299.00	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हे०	22	5057.80		5057.80	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	10345.50		10345.50	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2299.00		2299.00	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०	28.00	6437.20	9518.75	15955.95	
योग :-			137.00	31496.30	22801.49	54297.79	

अनुलग्नक-2 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम- मू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666
पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

क्र०	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹० में)	सामग्री (₹० में)	कुल व्यय (₹० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हे०	16.50	3793.35	0.00	3793.35	

6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंदूर ट्रेचिंग-120, कंदूर ट्रेच साईज 5 मी0 X 0.30 X 0.3 मी0 का खादा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी0 से 3मी0 हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे0	55.00	12644.50	0.00	12644.50	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेंनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	25.00	5747.50	0.00	5747.50	
9	गली प्लगिंग	हे0	10.00	2299.00	0.00	2299.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य		38.00	8736.20	12800.40	21536.60	
योग :-			203.00	46669.70	26973.14	73642.84	

अनुलग्नक-2 (ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे
पौधों की दूरी : 2 मी0 x 2 मी0

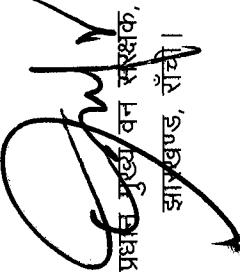
क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हे0	7	1609.30		1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.143.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे0	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 2500 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	55	12644.50	0.00	12644.50	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डैम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे0	10	2299.00		2299.00	
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हे0	25	5747.50		5747.50	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे0		0.00	3375.00	3375.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे0	57.00	13185.70	11181.45	24367.15	
योग :-			169.00	38934.50	26489.19	65423.69	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	xi
1	पलामू	मेदीनीनगर वन प्रमंडल	छतरपुर पश्चिमी	हरिहरगंज	हरिहरगंज-180	महुवरी	8(पार्ट), 910, 11(पार्ट)	50
			मोहम्मदगंज	हुसैनाबाद	हरिहरगंज-77	जगदीशपुर	14, 5	40
					हुसैनाबाद-509	दुधिया	3, 5, 6, 9, 10	50
योग:-								
2	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	हंटरगंज प्रक्षेत्र	हंटरगंज	हंटरगंज-02	सागासेत	2P, 3P, 4P, 5P,	140
			प्रतापपुर प्रक्षेत्र	प्रतापपुर	प्रतापपुर-114	अदौरिया	62, 65, 66, 125, 126	30
			कुन्दा प्रक्षेत्र	कुन्दा	प्रतापपुर-163	पिजनी	231, 233, 234, 235,	40
			राजपुर प्रक्षेत्र	कान्हाचट्टी	चतरा-77	कोल्हेया	2, 420, 425P, 956P	40
योग :-								
3	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	सिमरिया प्रादेशिक प्रक्षेत्र	सिमरिया	सिमरिया-110	केन्दु	325, 327, 328, 329	30
			सिमरिया वनरोपण प्रक्षेत्र	सिमरिया	सिमरिया-156	बन्हे	106, 107, 108, 110, 111	40
			पिरी प्रक्षेत्र	सिमरिया	सिमरिया-189	मरहा	222, 223, 224, 279, 282, 485, 486	50
			टण्डवा प्रक्षेत्र	टण्डवा	टण्डवा-47	नयाखाप	6, 35, 423P	50
			लावालौंग प्रक्षेत्र	ईटखोरी	ईटखोरी-125	केन्दुआ	2, 3, 5, 6	40
			चौपारण वनरोपण	मयरहंड	ईटखोरी-215	खैरा	138, 227, 228,	50
			लावालौंग प्रक्षेत्र	ईटखोरी	ईटखोरी-124	सहरजाम	4199, 4200, 4201, 4202	45
योग :-								
4	कोडरमा	कोडरमा वन प्रमंडल	कोडरमा प्रक्षेत्र	डोमचांच	कोडरमा-03	जानपुर	1119, 1210	305
								50
योग :-								
								50

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	xi
5	हजारीबाग	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	दारु वन प्रक्षेत्र	चुरचू	चुरचू-83	परतंगा	3, 13, 14, 184, 290, 291, 294, 295, 293,	30
			गोमियां वन प्रक्षेत्र	सदर	सदर-239	गुडुवा	466P, 459P, 632P	50
				गोमियां	गोमियां-92	करीखुर्द	405P, 774P, 776P, 787P, 933P, 935P, 947P, 1001P, 1003P, 1004P, 1064P, 1197P, 1199P	50
					गोमियां-09	तिसकोपी	3, 11P, 74P, 163P, 282P, 366P, 428P, 449P, 450P, 451P, 452P, 453P, 454P, 457P, 459P	50
योग :-								
6	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चमी वन प्रमण्डल	बरही प्रक्षेत्र	बरही	बरही-133	धमली	1, 34, 35, 113, 114, 116, 117, 147, 185, 186	50
योग :-								
7	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, गढ़वा	गढ़वा	गढ़वा-278	प्रतापुर	8, 23, 42, 1336, 1337, 1348, 1357, 1358P, 1367P, 1166	30
					रंका-77	सेराशाम	426, 427, 428, 429	50
योग:-								
8	पलामू	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, डालटनगंज	डालटनगंज	डालटनगंज-234	करमा	466, 480	50
				लेस्लीगंज	डालटनगंज-210	पोखराहा	10, 16	50
				मनातू	लेस्लीगंज-308	मारीभाग(टोला-नावाडीह)	985, 991, 1083,	50
					मनातू-392	मनातू	368	50
योग:-								
सकल योग:-								
1145								


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

5

क्र० नं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
5	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	बड़कागांव प्रक्षेत्र	बड़कागांव	बड़कागांव-52	चेपाकला	535P, 536P, 537, 613, 614P, 2136P	60
			बरही वनरोपण प्रक्षेत्र	बरही	बरही -100/101	कंडाघोघर / गवास	13, 1, 3	50
			हजारीबाग वनरोपण प्रक्षेत्र	बरही	बरही -11	पिंडारकोण	1743P, 1838P, 1839	27
				बरही	बरही -2	गोरियाकरमा	2696, 2875P	25
योग :-								
6	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, भवनाथपुर।	खरौंघी	भवनाथपुर-13	मझिगांवा - I	1, 2, 3, 4, 5P, 6P	50
			सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, नगर।	नगर उँटरी	गढ़वा-156	कुम्भाकला	662P, 663, 664, 678, 687, 688	50
योग:-								
7	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, लातेहार	लातेहार	लातेहार-239	शीशी	67, 91, 320, 431, 351, 354, 432, 444	50
			सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, बालूमाथ	चन्दवा	बालूमाथ-251	बारी	1139, 1132, 1038	50
				बारियातु	बालूमाथ-53	रहैया	319, 580, 649, 801, 803, 805, 941, 676, 806, 940, 943, 942	50
				बालूमाथ	बालूमाथ-204	चेताग	81, 82, 83, 84, 86, 381	50
योग:-								
सकल योग:-								
1027								

अपर प्रधान मुख्य वन अधिकारी, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा हे० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	हंटरगंज वनरोपण राजपुर प्रक्षेत्र चतरा वनरोपण	हंटरगंज कान्हाचट्टी	हंटरगंज-74 चतरा-50 चतरा-124	जोराकरम जमरी बक्सपुरा दुल्हा	22, 1285, 1289, 1326, 1523, 1554, 1555, 1657, 1887, 1979 584, 586, 511	50 25 25 100
योग :-								
2	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	चतरा प्रक्षेत्र सिमरिया प्रक्षेत्र	चतरा सिमरिया	चतरा-12 सिमरिया-130 सिमरिया-129	मंक्षगौवा कोरी देन्हो	1315, 1317, 1324 435, 436, 440, 416, 417, 418, 27 621, 622, 623, 624, 321	50 50 100
योग :-								
3	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	बगोदर वनरोपण बगोदर वन प्रक्षेत्र	सरिया बगोदर	बागोदर-18 बगोदर-247	परसिया बालक	1344 to 1366, 1368P, 1331, 1342, 1370P 2113, 2115, 2117P, 2852	50 30 80
योग :-								
4	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, भवनाथपुर। सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, नगर।	भवनाथपुर भवनाथपुर	भवनाथपुर-17 भवनाथपुर-56	मकरी-II अरसली	66,65,64,60,59पी० 2263पी०,2337पी०	50 50
योग :-								
5	पलामू	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सतबरवा	मनिका-116	कमारू	2251, 2252, 2290, 2173, 2174, 2218, 2193, 2194, 2500	40 40 420
योग :-								
सकल योग :-								

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-27/2017/1071

दिनांक - 21-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	56996	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	16,076,900.00 रुपये एक करोड़ साठ लाख छहत्तर हजार नौ सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	56998	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	15,303,400.00 रुपये एक करोड़ तीरपन लाख तीन हजार चार सौ
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57000	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	18,166,700.00 रुपये एक करोड़ इक्क्यासी लाख साठ हजार सात सौ
				49,547,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड़ पिनचानवे लाख सैतालीस हजार

(SHRI SATNAM SINGH

ADDL. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57003	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,574,800.00 रुपये पंद्रह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ 
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57006	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	11,817,500.00 रुपये एक करोड़ अठारह लाख सत्रह हजार पंच सौ 
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57008	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	9,135,300.00 रुपये इनकानवे लाख पैतीस हजार तीन सौ 

योग:

22,527,600.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड़ बीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ

72,074,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. P. S. DIV. HAZARIBAG
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57009	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	11,080,100.00 रुपये एक करोड दस लाख अस्सी हजार एक सौ
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57010	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	17,190,500.00 रुपये एक करोड इकहत्तर लाख नब्बे हजार पाँच सौ
9	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57013	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	9,935,500.00 रुपये निम्नानवे लाख पैंतीस हजार पाँच सौ

योग:

38,206,100.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड दो लाख अस्सी हजार सात सौ

110,280,700.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57017	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	9,887,100.00 रुपये अठानवे लाख सित्यासी हजार एक सौ
11	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57018	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	12,300,700.00 रुपये एक करोड तेइस लाख सात सौ
12	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57020	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,140,000.00 रुपये ग्यारह लाख चालीस हजार

योग:	23,327,800.00
क्रमिक योग:	रुपये तेरह करोड छत्तीस लाख आठ हजार पाँच सौ 133,608,500.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. P&W OFFICER, RANCHI

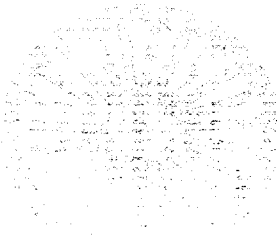
क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57021	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	7,976,600.00 रुपये उन्नासी लाख छहत्तर हजार छः सौ
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57023	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	5,509,600.00 रुपये पचपन लाख नौ हजार छः सौ
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57026	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	7,170,300.00 रुपये इकहत्तर लाख सत्तर हजार तीन सौ

योग:	20,656,500.00
क्रमिक योग:	रुपये पंद्रह करोड बयालीस लाख पैंसठ हजार 154,265,000.00


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. PS&D/ANR/HAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323	57028	LTRFOR004	11,014,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ARVIND KUMAR GUPTA	रुपये एक करोड दस लाख चौदह हजार तीन सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SFD LATEHAR	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		



योग:		11,014,300.00
क्रमिक योग:	रुपये सोलह करोड बावन लाख उन्नासी हजार तीन सौ	165,279,300.00
		
	(SHRI SATNAM SINGH)	

ADDL. SECRETARY (F&F) HAND